रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1245/2009

गंगा बाई .....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य ....प्रत्यर्थी

(दंड संहिता, 1860 – धारा 304 सपठित धारा 34 और 201 - के तहत अपीलार्थी -अभियुक्त के साथ दो अन्य अभियुक्तों का अभियोजन - विचारण न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया- उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी -अभियुक्त की सजा की पुष्टि की, जबकि अन्य दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया - सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा अपील - अभिनिर्धारित: अपीलार्थी -अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने एक अटूट श्रृंखला बनाई, जिसके कारण केवल एक ही परिकल्पना सामने आई अर्थात धारा 302 और 201 के तहत अपराधों में उसकी संलिप्तता - धारा 313 द. प्र.सं. में कोई स्पष्टीकरण नहीं - उसके कपड़ों पर मानव रक्त

की उपस्थिति के संबंध में अपीलार्थी का बयान भी अपीलार्थी के विरुद्ध जाता है - अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के समान दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ अपराध में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 313- साक्ष्य- परिस्थितिजन्य साक्ष्य)

<u>निर्णय</u>

कुरियन, न्यायाधिपति

1. अपीलार्थी-गंगा बाई पर उनकी बहू और उनके दो नाबालिग बच्चों की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 201 के अंतर्गत उदय लाल और दौलत राम के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निम्बाहेड़ा, राजस्थान के समक्ष मुकदमा चलाया गया था तीनों को भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। व्यतिक्रम खंड के साथ जुर्माने की सजा भी थी।

2. अपील में, उच्च न्यायालय ने उदय लाल और दौलत राम को यह मानते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ अपराध संदेह से परे साबित नहीं हुए थे। हालाँकि, अपीलार्थी के मामले में, सजा में कोई संशोधन किए बिना दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।

3. घटना वर्ष 1999 की है। पीडब्लू-29 द्वारा दी गई शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ऐसा कहा गया था कि जब वह खेत में मवेशियों को देख रहा था, तो उन्होंने पीडब्लू-3 को खाई में पड़ी एक महिला के शव को देखकर जोर-जोर से रोते हुए सुना।पीडब्लू-4 के साथ, उन्हें खाई में फेंके गए दो बच्चों के शव भी मिले। 06.09.1999 को अपीलार्थी और उदय लाल को गिरफ्तार किया गया, और दौलत राम को 09.09.1999 को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 201 के तहत आरोप लगाए गए थे।

4. हालांकि विचारण के दौरान कई गवाह पक्षद्रोही हो गए, लेकिन सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को यह कहते हुए दोषी ठहराया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, बरामदगी के साक्ष्य और अपीलार्थी और उदय लाल के कपड़ों पर खून के धब्बे की उपस्थिति उन्हे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थी। उच्च न्यायालय ने उदय लाल और दौलत राम को बरी कर दिया, और इसलिए, अपील केवल गंगा बाई की ओर से है।

5. यह तर्क दिया गया है कि दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उदय लाल, जिसकी निशादेही पर, खून से सने हथियारों में से एक, अर्थात् धारिया को बरामद किया गया, को बरी कर दिया गया, अपीलार्थी भी बरी किये जाने योग्य है।

6. हमने राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को भी सुन लिया है।

7. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित साक्ष्यों पर भरोसा किया हैः

"(1) मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी श्रीमती गंगा बाई के साथ देखा गया था।

(2) अपीलार्थी श्रीमती गंगा बाई के कहने पर घटनास्थल का सत्यापन।

(3) अपराध के हथियार धारिया, कुदाल और कुल्हाड़ी की बरामदगी।

(4) अपीलार्थी श्रीमती गंगा बाई के खून से सने कपड़ों की बरामदगी।

(5) अपीलार्थी गंगा बाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसरण में मृतका की पायल की बरामदगी।"

8. पीडब्लू-5-शांति देवी, जो पीडब्लू-6-नरेश कुमार की पत्नी है, मृतका-सुनंदा के मकान मालिक और उसका पति-रतनलाल (अपीलार्थी का बेटा), के साक्ष्य में सामने आया है कि आरोपी -गंगा बाई मृतक सुनंदा से मिलने उसके कमरे में जाती थी। उक्त गवाह ने कहा कि उसने सुनंदा को उसके लापता होने से पहले अपीलार्थी के साथ देखा था। उसके साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद अपीलार्थी उसके पास वापस आई, किराए का भुगतान किया और मृतका का सामान ले गई। पीडब्लू-6-नरेश कुमार

ने पीडब्लू-5 के कथन का समर्थन किया है। पीडब्लू-7 सुल्ताना है जिसने भी यह कहा है कि मृतका को उसके बच्चों के साथ बाजार में अपीलार्थी के साथ देखा गया था और मृतका ने उसे बताया था कि अपीलार्थी उन्हें मोरवन ले जा रही थी। पीडब्लू-8- सुल्ताना के पति ने उसके कथन का समर्थन किया है। इस प्रकार, पीडब्लू-5 से 8 के साक्ष्य के आधार पर, निचले दोनों न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी मृतकों को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।

9. पीडब्लू-5 के साक्ष्य से यह भी पता चला है कि अपीलार्थी दो कारणों से मृतका से खुश नहीं थी। (i) अर्थात पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी थी और उसने उसे अपने दो बच्चों के साथ छोड़ दिया था और (ii) वह एक अलग जाति से थी। इसलिए, यदि अपीलार्थी ने उन्हें उनके परिवार में स्वीकार कर लिया होता, तो उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाता। यही कारण है कि केवल मृतका ने अपने परिवार के साथ अपीलार्थी का घर छोड़ दिया था और पीडब्लू -5 द्वारा प्रदान किए गए किराए के आवास में रहने लगी थी। उसकी गवाही से यह भी पता चला है कि मृतका ने उसे अपने पैतृक घर का फोन नंबर और अपने पति और बच्चों के साथ मृतका की पारिवारिक फोटो भी दी थी ताकि उसके वापस न लौटने की स्थिति में उसे उसके पिता को सौंप दिया जाए। फिर भी, घटना के बाद, पीडब्लू-5 के साथ किराए का निपटान करना और मृतक के सामान को हटाना एक अन्य दोषपूर्ण परिस्थिति अपीलार्थी का आचरण है।

10. अपीलार्थी द्वारा घटना स्थल के सत्यापन पर दूसरी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय ने उसी धारणा को सही ढंग से खारिज कर दिया कि पुलिस ने पहले ही उस स्थान की पहचान कर ली थी जहाँ शवों को फेंका गया था। अपीलार्थी के खिलाफ अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपराध के हथियार की बरामदगी पर है। यह साक्ष्य में आया है कि बरामदगी केवल प्रदर्श-पी-67 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर की गई थी। यह साक्ष्य में आया है कि प्रदर्श पी-53 धारिया पर मानव रक्त था। अपीलार्थी के खिलाफ पाया गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य का तीसरा टुकड़ा प्रदर्श पी-66 खुलासे के अनुसार उसके खून से सने कपड़ों की बरामदगी है। अपीलार्थी प्रदर्श पी-52 के अनुसार बरामद अपने कपड़ों पर मानव रक्त की उपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। हालाँकि पायल, जो मृतका सुनंदा की बताई जाती है, भी उसके खुलासे के अनुसार बरामद कर ली गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई उचित पहचान नहीं थी।

11. अभिलेखों को अवलोकन करने के बाद, हमें अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया जाना मुश्किल लगता है, जिसने निचले विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अनुसार एक अटूट श्रृंखला बनी, जो केवल एक परिकल्पना अर्थात भा.दं.सं. की धारा 302 और धारा 201 के तहत अपराधों में अपीलार्थी की संलिप्तता की ओर ले जाती है। यह विशेष रूप द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए कि

भा.दं.सं. की धारा 313 के बयान के तहत भी, अपीलार्थी के पास अपने कपड़ों पर मानव रक्त के धब्बों की उपस्थिति पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था जो उसके प्रकटीकरण पर विधिवत बरामद किए गए थे।

12. ***नाना केशव लगड बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 12 एससीसी 721 में ,*** इस न्यायालय को इसी तरह की स्थिति पर विचार करने का अवसर मिला था। चूंकि तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को भी इसमें समझाया गया है, इसलिए हम प्रासंगिक पैराग्राफ का इस प्रकार उद्धृत करेंगे:

> "27. अपीलार्थियों की ओर से किया गया अन्य तर्क ए-1 और ए-4 द्वारा पहने गए कपड़ों पर पाए गए मानव रक्त के संदर्भ में था। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष ए-1 के कपड़ों पर पाए गए खून के धब्बों के साथ-साथ आपराधिक अपील संख्या 1010/2008 में अपीलार्थी के बारे में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में विफल रहा। उस संबंध में विवरणों को दोहराने के बजाय, उक्त विवाद से निपटने के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचे निष्कर्ष का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जो पैरा 63 में पाया गया है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः
>
> "63. वर्तमान मामले में, इस संबंध में एपीआई पडवाल के साक्ष्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है या खंडित नहीं

किया गया है। इसके बाद सभी आरोपियों को पंचनामा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के समय आरोपी नाना का पंचनामा, खून से सने कपड़े जब्त कर लिये गये। यह किसी भी तरह से तर्क नहीं दिया गया है या उस मामले के लिए सुगबुगाहट भी नहीं है कि आई ओ ए पी आई पडवाल के पास आरोपी के प्रति कोई द्वेष था या वह आरोपी को फंसाने के एकमात्र उद्देश्य से एकतरफा अनुसंधान में प्रेरित या रुचि रखता था। वास्तव में, इस मामले में अनुसंधान पूरी तरह से निष्पक्ष प्रतीत होता है। जब यह पता चला कि संदीप और गणेश नाम के दो अभियुक्त, बाल अपचारियों ने हमले में भाग नहीं लिया है, तो धारा 169 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उनके नाम अभियोजन मामले से हटा दिए गए थे। इसलिए, यहां जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ी है और ऐसा भी नहीं है, एपीआई पडवाल को सुझाव दिया गया है कि, आरोपी नाना के पास से ऐसे कोई खून से सने कपड़े बरामद नहीं किए गए थे, इसके अलावा, कानून की तय स्थिति के अनुसार, है कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी बेईमानी से काम करता है और उसके साक्ष्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए, यहाँ एपीआई पडवाल का साक्ष्य अभियुक्त के खून से सने कपड़ों की बरामदगी को

साबित करने के लिए पर्याप्त है। उनके साक्ष्य यह भी साबित करते हैं कि ये सभी सामान, खून से सने कपड़े आदि सीए को भेजे गए थे और सीए रिपोर्ट के अनुसार, ईएक्सटी 61 आरोपी और मृतक के कपड़ों पर खून का पता चला और यह खून इंसानी खून था। वर्तमान मामले में, हालांकि सीए रिपोर्ट, ईएक्सटी 61 से पता चलता है कि, उक्त मानव रक्त ग्रुप बी, सीए रिपोर्ट, ईएक्सटी 62 अभियुक्त के रक्त नमूने के बारे में कहता है कि रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि परिणाम अनिर्णायक थे, इसके अलावा, मृतक के रक्त नमूने का कोई सीए यह साबित करने के लिए नहीं है कि उसका रक्त समूह बी था। हालांकि, तथ्य यह पता चला है कि, आरोपी नाना के कपड़ों पर मानव खून के धब्बे पाए गए थे उन्होंने यह नहीं बताया है कि ये खून के धब्बे उनके कपड़ों पर कैसे थे और इसलिए, जैसा कि इस प्राधिकरण में देखा गया है, यह आरोपी के खिलाफ एक और अत्यधिक आपत्तिजनक स्थिति बन जाती है। वास्तव में, जैसा कि विचारण न्यायालय ने ठीक ही उल्लेख किया है, अपीलार्थीओं को यह बताना था कि उनके द्वारा पहने गए कपड़ों में मानव रक्त कैसे था। धारा 313 में जिरह में अपीलार्थीओं की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। इन

परिस्थितियों में, उक्त तर्क भी किसी भी विचार के योग्य नहीं है।"

13. आखिरी तर्क समता पर है। यह तर्क दिया गया है कि उदय लाल, जिनके कपड़े विधिवत बरामद किए गए थे, में मानव रक्त के धब्बे भी थे, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था और उन्होंने अपराध के हथियार की बरामदगी पर भी खुलासा किया था। यद्यपि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, इस तथ्य को देखते हुए कि उदय लाल को दोषमुक्ति जाने के खिलाफ राज्य द्वारा कोई अपील नहीं की गई है और यह घटना वर्ष 1999 की है, हम उदय लाल के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हालाँकि, हम कह सकते हैं कि केवल इसलिए कि उदय लाल को उसके खिलाफ लगाए गए हत्या और सबूतों को नष्ट करने के अपराधों में अपीलार्थी की संलिप्तता के पुख्ता सबूतों के मद्देनजर बरी कर दिया गया था, वह उदय लाल के समान व्यवहार की हकदार नहीं है। केवल इसलिए कि उनमें से एक या अधिक लोगों पर बड़े अपराधों का आरोप लगाया गया था और आईपीसी की धारा 34 के तहत भी आरोप लगाया गया था, उन्हें बरी कर दिया गया है, समूह में वह व्यक्ति जिसने समान इरादा साझा किया था, जिसके मामले में प्रत्यक्ष संलिप्तता के निर्णायक सबूत हैं, समता का दावा नहीं कर सकता है।

14. इस प्रकार, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा पर समवर्ती निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हमें अपील में कोई विशेषता नहीं मिली और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

15. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पैरोल) संख्या 3026/2014 दिनांक 09.04.2014 को उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने बिना पैरोल के जेल में साढ़े चौदह साल से अधिक की सजा काट ली है और उसकी उम्र लगभग 79 वर्ष है, उसकी स्थायी पैरोल स्वीकार की है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अपील के खारिज होने से किसी भी तरह से उसकी स्थायी पैरोल या सजा में कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायाधिपति (टी. एस. ठाकुर)

न्यायाधिपति (कुरियन जोसेफ)

नई दिल्ली;

30 सितंबर, 2015

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।